



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 2019 पुनरावलोकन

प्रकालोकन-०२३४/२०१९/इंदौर/भू५४८

भुक्ति लाभकर्ता PS के द्वारा
दरक्षुति 28/1/19 को
प्रारंभिक तक हेतु
दिनांक 14-2-19 नियत।
कल्की औफ कोर्ट 28-1-19
राजस्व मण्डल, भू. ग्वालियर

1. कांतिलाल बम पुत्र गेंदालाल बम
 2. अक्षय पिता कांतिलाल बम
 3. श्रीमती पूनम पत्नि पराग बाफना
 4. श्रीमती रश्मि पत्नि संजय बम
- समस्त निवासीगण 58 पराग कॉलोनी
इन्दौर मध्यप्रदेश —— आवेदकगण
विरुद्ध

1. श्रीमती बिसमिलाबाई पति असगर पटेल
 2. सरदार पिता असगर पटेल
 3. यूनुस पिता असगर पटेल
 4. मुमताज बी पिता असगर पटेल
 5. श्रीमती सईदा बी पिता असगर पटेल
 6. श्रीमती रईसा बी पति सरदार पटेल
- समस्त निवासीगण 697 अजमेर
कोठी खजराना
तहो व जिला— इन्दौर म0प्र0

श्री मनोज गोयल अध्यक्ष राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 3416 —दो/2013 पुनरीक्षण आवेदन पत्र में पारित आदेश दिनांक 5-12-2018 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा –51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 2018.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरावलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं:-

संक्षिप्त तथ्य:-

1. यह कि, ग्राम खजराना तहसील व जिला—इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 387 अनावेदकगण के भूमि स्वामित्व की भूमि थी जिसमें से भूमि विक्रय करने का अनुबंध अनावेदकगण ने आवेदकगण से किया था। उक्त अनुबंध के अनुसार अनावेदकगण ने भूमि सर्वे क्रमांक 387/1 में से 0.445 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र आवेदकगण के हित में निष्पादित कर दिनांक 27/07/2006 को उसका पंजीयन कराया।

2. यह कि, दिनांक 27/07/2006 को किये गये विक्रय पत्र के अधार पर अनावेदकगण की स्थानिय से आवेदकगण का नामांतरण दिनांक 18/09/2006 को किया गया उक्त तात्पर्य अदर के द्वारा इन्हे उन्नापाठकरण के लिए दिया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पृष्ठा-234। १९। ~~३०८२~~। पृष्ठा-२१०

रक्षान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
9-4-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5.12.2018 के विरल्द्व प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p> <p>(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या</p> <p>(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या</p> <p>(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार।</p> <p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्रह्य किया जाता है।</p> <p> मनोज गोयल</p> <p>अध्यक्ष</p>	